भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *196

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

मुद्रा ऋण

196. श्रीमती कविता सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 30 करोड़ उद्यमियों/छोटे कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बैंक प्रक्रिया में त्रुटियां निकाल कर बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकार कर देते हैं ताकि ऋण देने से बचा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार के सीवान जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राप्त ऋण-आवेदनों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को ऋण प्रदान किया गया; और

(ङ) शेष लोगों को ऋण नहीं देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'मुद्रा ऋण' के संबंध में श्रीमती कविता सिंह द्वारा पूछे गए 02 दिसम्बर, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *196 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी, नहीं। सरकार सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई), अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राशि के संबंध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एमएलआई के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएमएमवाई योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को निरन्तर प्राप्त किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एमएलआई के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति की समीक्षा पीएसबी के साथ समय-समय पर की जाती है।

(ग) से (ङ.): वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार के सिवान जिले में एमएलआई के द्वारा 1.37 लाख ऋण दिए गए, जिनमें 609.97 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। विभिन्न एमएलआई को प्राप्त ऋण आवेदनों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। एमएलआई द्वारा योजना के अंतर्गत ऋण वाणिज्यिक मानदंडों के आधार पर दिए जाते हैं और ये ऋण, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना की व्यवहार्यता, उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के आकलन, इस संबंध में उनकी बोर्ड अनुमोदित नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर दिए जाते हैं। ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करने सहित पीएमएमवाई के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत का निपटान संबंधित बैंकों के समन्वय से किया जाता है। ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना की अव्यवहार्यता, स्वीकृति के पूर्व चरण में पायी गयी असंगति, उधारकर्ता का असंतोषजनक ऋण इतिवृत्त आदि शामिल हैं।

*****